

प्रश्न सं. [क. 3859]

रक्षा परिषद्
दि. 16-7-1812
29

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 11-26/2018/20-4

भोपाल, दिनांक 16/07/2018

प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.
भोपाल।

विषय:- डब्ल्यू.पी. 13763/2012 (एस) श्री पदम कुमार टेडिया विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य तथा समरूप प्रकरणों में कार्यवाही के संबंध में।

विषयांतर्गत याचिका क्रमांक 13763/2013 (एस) श्री पदम कुमार टेडिया विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा दिनांक 30.01.2014 को पारित निर्णय का सार यह है कि उक्त याचिकाकर्ता शिक्षक है तथा शिक्षक के पद से ही सेवानिवृत्त हुए हैं, अतः वे 62 वर्ष तक कार्य करने हेतु पात्र हैं तथा ऐसे व्यक्ति जो भले ही शिक्षक नहीं हैं, वे भी 62 वर्ष की आयु तक कार्य करने हेतु पात्र हैं यदि वे 20 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव रखते हैं। उक्त डब्ल्यू.पी. क. 13763/2013 (एस) में पारित निर्णय के विरुद्ध रिट अपील क्रमांक 499/2014 दायर की गई। अपील में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2015 में मान. युगलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2014 को सही एवं उचित ठहराते हुए अपील खारिज कर दी गई। अपील में पारित निर्णय के विरुद्ध में विशेष अनुमति याचिका डायरी क्रमांक 16257/2017 दायर की गई जिसमें दिनांक 21.08.2017 को पारित आदेश में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अपेक्षा की गई कि मान. उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकरण पर नये सिरे से विचार किया जाए। मध्यप्रदेश राज्य को इस संबंध में समुचित आवेदन मान. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी। राज्य शासन से यह भी अपेक्षा की गई है कि वह यह विचार करे कि 20 वर्ष की सेवा अवधि निर्धारित किए जाने को लेकर जो वर्गीकरण किया गया है उसके पीछे क्या कोई तार्किक तथ्य है? इस संबंध में एक माह में आवश्यक निर्णय लिये जाने के निर्देश दिए गये।

2/ मान. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिका क्रमांक 13763/2013 (एस) श्री पदम कुमार टेडिया विरुद्ध म.प्र. शासन में रिव्यू याचिका क्रमांक आर.पी. 119/2018 मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में दायर की गई है जो वर्तमान में प्रचलन में है।

3/ मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुक्रम में समरूप प्रकरणों में वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त किया गया। वित्त विभाग द्वारा दिए गए अभिमत दिनांक 03.07.2018 के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

- 1) शिक्षक के पद पर संविलयन द्वारा नियुक्ति के फलस्वरूप इनकी सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होनी चाहिए।
- 2) उपर्युक्त आधार पर न्यायालयीन आदेश के अनुपालन की सहमति दी जाती है।
- 3) ऐसे अन्य प्रकरणों में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का परामर्श है।

53/203
30-7-18

Amo

- 4/ वित्त विभाग के उपर्युक्त अभिमत के प्रकाश में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए:-
- 4.1 मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में दायर रिव्यू याचिका क्रमांक 119/2018 जो वर्तमान में प्रचलन में है, को वापस लिया जाए।
- 4.2 प्रौढ़ शिक्षा पर्यवेक्षक जिनका विभागीय आदेश क्रमांक एफ-2-5/97/20-2/बीस, दिनांक 06.06.1998 के अनुक्रम में शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है, से संबंधित प्रचलित समस्त समरूप न्यायालयीन प्रकरणों में याचिकाकर्ताओं की अर्धवार्षिकी आयु 62 वर्ष मान्य करते हुये सेवानिवृत्ति प्रदान की जाए तथा तदनुसार समस्त सेवानिवृत्ति संबंधी स्वत्वों का भुगतान किया जाए।
- 4.3 समरूप न्यायालयीन प्रकरणों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए आवश्यक जबाब दावा प्रस्तुत कर उनका निराकरण कराया जावे।
- 5/ कण्डिका (4.2) में उल्लेखित श्रेणी के, भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे समस्त समरूप शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्ति प्रकरणों का भी उपर्युक्त निर्देशों का पालन करते हुए निराकरण किया जाए तथा इस संबंध में भविष्य में कोई अन्य न्यायालयीन प्रकरण उद्भूत न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

(के.के.द्विवेदी)

उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 16/07/2018

पृ. क्रमांक एफ 11-26/2018/20-4,

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
3. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाअधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र., भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण (समस्त)।
7. संयुक्त संचालक, विधि प्रकोष्ठ (समस्त)।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त), म.प्र.।
9. जिला कोषालय अधिकारी (समस्त), म.प्र.।
10. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
11. गार्ड फाइल।

उप सचिव

म.प्र. शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश
गौतम नगर, भोपाल-462023

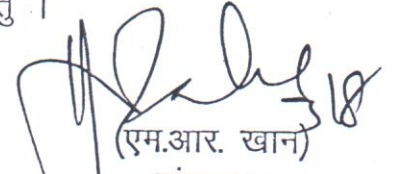
दूरभाष : 0755-2583650, फ़ैक्स 2583651

ई-मेल est3-dpi@mp.gov.in

पृ. क्र. स्था-3/एच/अधि.आयु./2014-18/1496
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 6/8/2018

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल ।
2. उप सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय की ओर उनके परिपत्र क्र. एफ-11-26/2018/20-4 दिनांक 16.07.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।
3. महालेखाकर म.प्र. ग्वालियर ।
4. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर म.प्र. ।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स म.प्र. भोपाल ।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म.प्र.
7. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ म.प्र.
8. सहायक संचालक, विधि कक्ष (स्थानीय)
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि शासन परिपत्र में उल्लेखित कण्डिका 4.2 में उल्लेखित श्रेणी के भविष्य में सेवानिवृत्ति होने वाले ऐसे समस्त समरूप शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्ति प्रकरणों का भी उपर्युक्त निर्देशों का पालन करते हुए निराकरण किया जाए तथा इस संबंध में भविष्य में कोई अन्य न्यायालयीन प्रकरण उद्भूत न हो, यह सुनिश्चित किया जाए ।
10. समस्त जिला कोषालय अधिकारी म.प्र.
11. प्रभारी कम्प्यूटर कक्ष (स्थानीय), ई-मेल/पोर्टल पर अपलोड हेतु ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(एम.आर. खान)
संचालक
लोक शिक्षण मध्य प्रदेश